नम्बर हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 102/2022 अनवान सिरेकंवर बनाम मगसिंह**	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुकम की तार मे जारी हुए

आदेश

13/10/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। आवेदन दिनांक 22.03.2023 अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 05 द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीनी द्वारा हस्तगत वाद में मौजा बीदासर पटवार हल्का बाडमेर आगोर के खसरा संख्या 660 रकबा 49.11 बीघा व खसरा संख्या 659 रकबा 0.03 बीघा भूमि को पैतृक भूमि मृतक चिमनसिंह की बताकर स्वयं का स्वर्गीय सिरेकंवर के पुत्र एवं वारिश के आधार पर हिन्दुउतराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदारी में घोषित करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। चिमनसिंह जिनका स्वर्गवास 65 वर्ष पूर्व हुआ था तथा वादीगण द्वारा सिरेकंवर के देहान्त की दिनांक अंकित नही की है। वादीगण मृतक सिरेकंवर व चिमनसिंह के वैद्य सन्तान होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है तथा सन्तान/वारिश होने का बिन्दु राजस्व न्यायालय का न होकर सिविल न्यायालय का है। अतः वादीगण पहले सिविल न्यायालय से मृतक चिमनसिंह के वारिश होने प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने से यह वाद चलने योग्य नही है। वर्ष 1963 में चिमनसिंह की मृत्यु हुई तब स्त्री को सहदायकी नही मानकर वादग्रस्त भूमि में हक प्राप्त करने का अधिकार हासिल नही था। चिमनसिंह का देहान्त 1963 में हुआ तब वादीगण का जन्म ही नही हुआ था तथा तथाकथित सिरेकंवर यदि चिमनसिंह की वारिश होती तो अपने जीवनकाल में वादीगण की भाती अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अवश्यक अंकित करवाने हेतु दावा प्रस्तुत करती। वादी धनसिंह ने वादग्रस्त आराजी में से 01.00 बीघा भूमि वर्ष 1998 में जरिये पंजीबद्ध बेचान की थी वादी धनसिंह का नाम वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया था यदि वादग्रस्त भूमि में धनसिंह की पैतृक खातेदारी की भूमि होती तो स्वयं वादी वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार होता तथा 01.00 बीघा भूमि प्रतिफल की राशि अदा कर नही खरीद करता। वादीगण का वाद उक्त खरीद के पश्चात भी करीब 22–23 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है। लिहाजा वादीगण का वाद उतराधिकारी की घोषणा करवाये बिना

सहायक कलक्टर
SDO), बाड़मेर

चलये योग्य नही है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावें।

वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की और से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.03.2023 अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस में कथन किया कि उसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विधि सम्मत है। वादीगण मुतवफी चिमनसिंह के दोहिते अर्थात सिरेकंवर के जायन्दा पुत्र है ऐसी स्थिति में वादीगण चिमनसिंह के प्रथम श्रेणी के वैद्य वारिश है। चिमनसिंह का देहान्त वर्ष 1963 में हुआ था, वादीगण की माता अपने सगे भाई नीम्बसिंह व कुशलसिंह के साथ वादग्रस्त खेतों पर काबिज होकर काश्त करती थी। उक्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि होने से सिरेकंवर का वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा है तथा वादीगण सिरेकंवर के जायन्दा सन्तान होने से वादग्रस्त खेतों में वादीगण का भी हिन्दु उताराधिकार अधिनियम के तहत विधि अनुसार प्रथम श्रेणी में निहित होने से वादग्रस्त खेतों में हक व हिस्सा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी वर्ष 2005 में यह अवधारित किया गया था कि जिन सम्पतियों का विधि अनुसार बंटवाड़ा नही हुआ है उन सम्पतियों में पुत्री का भी अधिकार जन्म से निहित हो जावेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्त के अनुसरण में वादग्रस्त सम्पति का विधि अनुसार बंटवाड़ा नही होने से वादीगण की माता का जन्म से हिस्सा निहित होने से वादीगण का भी वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा है। वादीगण द्वारा मिताक्षरा शाखा से उल्लेखित अंश के अनुसरण में ही हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है, जिससे वादीगण की माता सिरेकंवर के देहान्त का कोई लेना-देना नही है क्योकि वादीगण, सिरेकंवर के देहान्त के पश्चात भी वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण की माता सिरेकंवर अनपढ होने से यही समझती रही कि वादग्रस्त खेतों में प्रतिवादी संख्या 01 व 06 के पिता नीम्बसिंह के साथ उनका भी राजस्व रेकर्ड में अंकन है। वादीगण द्वारा 1998 में प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के पिता नीम्बसिंह से कोई भूमि क्रय नही की गई है। वादीगण के मामा नीम्बसिंह द्वारा वादीगण को कहा कि मेरे लड़के रतनसिंह का विवाह करना है एवं रूपयों की आवश्यकता

नम्बर हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 102/2022 अनवान सिरेकंवर बनाम मगसिंह**	नम्बर व तार अहकाम जो हुकम की ता मे जारी हुए

है इसलिए 01.00 बीघा भूमि वादीगण द्वारा क्रय की गई। उक्त प्रस्ताव इसलिए स्वीकार किया गया क्यो कि वादीगण को लगा की वादीगण के मामा किसी अन्य को वादग्रस्त भूमि बेचान कर देंगे तथा वादीगण के मामा ने वर्ष 2002 में वादग्रस्त भूमि बेचान की थी। तत्समय वादीगण को वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेखों का ज्ञान नही था। वकील प्रतिवादी ने विशेष आपति में अंकित किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अवधारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में यह वाद खारिज नही किया जा सकता है। वाद का निर्णय साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय किया जा सकता है क्योकि वाद विधिअनुसार पोषणीय है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को लम्बा करने हेतु प्रस्तुत किया है ताकि वादीगण को न्याय मिलने में समय लगे तथा माननीय न्यायालय का समय व्यर्थ हो। लिहाजा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को खारिज किया जावें।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रतिवादी संख्या का यह तर्क मानने योग्य है कि चिनमसिंह का देहान्त वर्ष 1963 में हुआ था तथा सिरेकंवर द्वारा पैतृक खातेदारी भूमि में खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत नही किया गया। वादी धनसिंह ने वादग्रस्त आराजी में से 01.00 बीघा भूमि वर्ष 1998 में जरिये पंजीबद्ध बेचान की थी वादी धनसिंह का नाम वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया था। वादी ने पंजीबद्ध बेचान करते समय पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रतिवादीगण को खातेदार माना है तथा स्वयं को क्रेता होना स्वीकार किया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत वादी अपने अभिकथन को अस्वीकार नही कर सकता है। चिनमसिंह का देहान्त वर्ष 1963 के समय वादीगण का जन्म नही हुआ तथा तत्समय वादीगण प्रथम श्रेणी के वारिश नही थे। वादीगण द्वारा वर्ष 1998 में 01.00 बीघा भूमि प्रतिफल की राशि अदा कर क्रय की गई थी। वादीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलीय न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की और से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर